# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 290 / 2025

अनवान : –

1 जगमेल सिंह, पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला कला त0 टिब्बी ।

वादी

बनाम्

1 नसीब कौर पत्नी मघर सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवालां तहसील टिब्बी।
2 मंगल सिंह पुत्र भगवान सिंह उर्फ भान सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी हनुमानगढ।
3 सतवीर कौर पुत्री मघर सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवांला कलां त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 1 जी. जी. आर. के खाता स० 60 / 123 में प्रतिवादी स० 1 नसीब कौर के नाम अंकित 0.193 हैक्टेयर व प्रतिवादी स० 2 मंगल सिंह के नाम अंकित 0.386 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी स० 3 सतवीर कौर के नाम अंकित 0.193 हैक्टेयर भूमि में से 0.180 हैक्टेयर भूमि का वादी को तथा वादी के नाम चक 644आर.डी. के खाता स0 56 / 44 में अंकित 0.759 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी स0 1 नसीब कौर को 0.193 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी स0 2 मंगल सिंह को 0.386 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी स० 3 सतवीर कौर को 0.180 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार वादी का नाम चक 644 आर. डी. के खाता स० 56 में से कलमजन, चक 1 जी. जी. आर. के खाता स० 60 / 123 मे से प्रतिवादी स० 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे व चक 1 जी. जी. आर. के खाता स० 60 / 123 में प्रतिवादी स० 3 का हिस्सा कम किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 18/8/25 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (सत्यनारायण )
R.A.S